श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

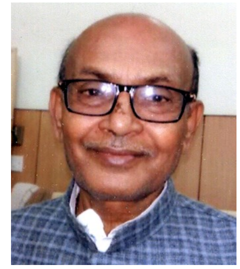

श्री कपिलदेव कामत
माननीय मंत्री

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2016—17

वार्षिक कार्यक्रम 2017—18

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। इस ऐतिहासिक अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया है। महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिशचित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण एवं अभिवंचित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों के कार्यो एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन किया गया है। पंचायतों को राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तरों से निधियाँ उपलब्ध करायी जा रही है, जिनसे पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ मूलभूत आवश्यकताओं के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतें प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी हैं। राज्य में चौदहवें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री अन्नकलश योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं विद्यालय शिक्षा समिति इत्यादि के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से दो महत्त्वपूर्ण निश्चयों यथा–हर घर नल का जल एवं ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्त्व ग्राम पंचयतों को सौंपा गया है। ग्राम पंचायतें इन योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड स्पर पर गठित वार्ड विकास समिति के माध्यम से करायेंगी। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि तथा अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अंतरण से प्राप्त राशि का उपयोग जलापूर्ति, स्वच्छता, नाली–गली निर्माण, जैसा की राज्य सरकार के सात निश्चय में शामिल है, एवं स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए किया जायेगा। साथ ही अनुदान राशि का उपयोग

क्षमतावर्द्धन, ई–गवर्नेंस, प्रशिक्षण, पंचायत सरकार भवन, जिला परिषद् भवन तथा ''मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना'' के लिए किया जायेगा। सामाजिक प्रक्षेत्रों के अन्य कार्यक्रमों में योजना निर्माण एवं अनुश्रवण का कार्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है जिसके तहत ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत, सर्वांगीण, समेकित, समावेशी और सहभागितापूर्ण योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का गठन किया गया है। GPDP पंचवर्षीय Perspective Plan 2015–20 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 का वार्षिक योजना तैयार कर वार्ड सभा से अनुमोदन प्राप्त करेगी। पंचायतें अपने आर्थिक संसाधन स्वयं उत्पन्न कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार शीध्र ही उन्हें कतिपय मामलों में कर/फीस अधिरोपित करने का अधिकार देने जा रही है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में पंचायत के प्रतिनिधियों को लोकसेवक घोषित किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी डर के सम्यक रूप से कर सकें, इस हेतु उनसे संबंधित मामलों की जाँच एवं कार्रवाई करने हेतु मानक प्रक्रियाएँ निर्धारित की गयी हैं। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में अनावश्यक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़े। पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण एवं पंचायती राज संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु **बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण एवं मामलों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली** बनायी गयी है। पंचायती राज संस्थाएं अपने कार्यों का संचालन समुचित रूप से कर सकें, इस हेतु **बिहार पंचायत (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है।** बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015–16 के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के स्तर पर वार्ड सभा गठित किये जाने का प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के प्रमुख/उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि पदावधि के प्रथम दो वर्षों के बाद उनके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर पूरी पदावधि में ऐसा अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। इस प्रावधान से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से निर्वाचित प्रमुखों/उप प्रमुखों को बार–बार अस्थिर करने के प्रयास विफल कर दिये गये हैं। प्रतिनिधियों/कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं इस कार्य के मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अभिनव प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र तथा जिला मुख्यालयों में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई–मिशन मोड लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी पंचायतों के लेखा, योजनाओं एवं कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य चल रहा है। पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए तथा अभिनव प्रयोगों को लागू करने हेतु एक स्वतंत्र बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का गठन किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की कारगर ढंग से साझेदारी सुनिश्चित कराने हेतु बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2012–2019 की यह परियोजना अब राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) के 204 प्रखंडों के 3186 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। राज्य सरकार के संकल्प संख्या–2517 दिनांक 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को हर स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 01.04.

2015 के प्रभाव से समेकित नियत (मासिक) भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को देय अनुग्रह अनुदान की राशि को एक लाख रूपये से बढ़ाकर पाँच लाख रूपये कर दी गयी है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से उन्हें परिचय पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें चौकीदारों की सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जो ग्राम कचहरियों के नोटिस, आदि का तामिला सुनिश्चित करेंगे। ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था के प्रमुख हैं। इस दृष्टिकोण से उनकी विशिष्ट पहचान हेतु उन्हें न्याय पगड़ी देने की व्यवस्था की गयी है। ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता को अनवरत जारी रखने के लिए पिछली अवधि में चयनित न्यायमित्रों को ग्राम कचहरी की कार्यावधि समाप्त हो जाने के बाद नये सिरे से न्यायमित्रों का नियोजन होने तक सभी पंचायतों में विहित शर्त्तों के अधीन कार्यरत रखा गया है। ग्राम कचहरी सचिवों को देय मानदेय की राशि **₹2000.00** से बढ़ाकर **₹6000.00** प्रतिमाह तथा न्यायमित्रों को देय नियत फीस **₹2500.00** को बढ़ाकर **₹7000.00** प्रतिमाह कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में भी पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु ये प्रयास जारी रखे जाएंगे।

इस वार्षिक प्रतिवेदन में पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में विभिन्न प्रक्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों को संकलित किया गया है।

शुभकामनाओं सहित,

(श्री कपिलदेव कामत)
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 534 पंचायत समितियाँ, 8391 ग्राम पंचायतें एवं 8391 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट–1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515, 4515 एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध मुख्य शीर्ष 2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत ₹258921.00 लाख (पच्चीस अरब नबासी करोड़ इक्कीस लाख रुपये) मात्र की राशि का योजना उद्व्यय है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 के अन्तर्गत ₹655822.29 लाख (पैसठ अरब अट्ठावन करोड़ बाईस लाख उनतीस हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

2. चौदहवाँ वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत कुल ₹18916.05 करोड (एक सौ नवासी अरब सोलह करोड़ पाँच लाख रूपये) मात्र तथा कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कुल ₹2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) मात्र अर्थात कुल मिलाकर ₹21017.83 करोड़ (दो सौ दस अरब सत्रह करोड़ तिरासी लाख रूपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्षवार निम्नरूपेण कर्णांकित की गई है:–

(राशि–करोड़ रूपये में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
बुनियादी अनुदान	2269.18	3142.08	3630.39	4199.71	5674.70	18916.05
निष्पादन अनुदान		412.15	466.41	529.67	693.55	2101.78
कुल	**2269.18**	**3554.23**	**4096.8**	**4729.38**	**6368.25**	**21017.83**

इस राशि में से बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार द्वारा ₹1571.04 करोड़ (पन्द्रह अरब इकहत्तर करोड़ चार लाख रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी गयी है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत शेष ₹17781.46 करोड़ (एक सौ सतहत्तर अरब इक्यासी करोड़ छियालीस लाख रूपये) मात्र की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत ₹2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि प्राप्ति संभावित है।

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की कंडिका 9.56 में यह अनुशंसा है कि बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित मूलभूत सेवाओं, यथा जलापूर्ति (Water Supply), स्वच्छता जिसके अन्तर्गत सेप्टेज प्रबंधन(Sanitation including septage menagement) सहित मल व्यवस्था (Sewerage), वर्षा जल की निकासी (Storm water drainage) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid waste management) भी शामिल है, सड़कों पर रोशनी (Street lighting), स्थानीय निकाय की सड़कें एवं पैदल पथ (Local body roads and footpaths), उद्यानों (Parks), खेल के मैदानों, कब्रिस्तान और श्मशान के सुदृढ़ीकरण तथा रख–रखाव पर किया जायेगा। विभागीय पत्रांक 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को देय बुनियादी अनुदान के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) की राशि का उपयोग निम्नांकित मुद्दों के समाधान पर किया जायेगाः—

(i) परीक्षित लेखा (audited accounts) के माध्यम से स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने; तथा

(ii) ग्राम पंचायतों के राजस्व की प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि।

आयोग की अनुशंसा है कि उपर्युक्त दोनो शर्तों के अनुपालन के उपरांत ही 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान उपलब्ध कराया जा सकेगा।

इन कार्य निष्पादन अनुदानों (Performance Grant) का संवितरण आयोग की अवार्ड अवधि के दूसरे वर्ष अर्थात वर्ष 2016—17 से किया जायेगा ताकि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को इसके क्रियान्वयन हेतु योजना एवं क्रियाविधि स्थापित करने का पर्याप्त समय मिल सके।

कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने पड़ेंगे जो उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक अवधि से संबंधित नहीं होंगे। ग्राम पंचायत को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढ़ोतरी भी करनी होगी और यह बढ़ोतरी लेखा परीक्षित लेखाओं (Audited Accounts) के माध्यम से स्थापित होनी चाहिये। उदाहरणार्थ, वर्ष 2016—17 के कार्य निष्पादन अनुदानों के लिए वर्ष 2014—15 का परीक्षित वार्षिक लेखा आवश्यक होगा। इसी प्रकार वर्ष 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 तक के कार्य निष्पादन अनुदानों के लिए क्रमशः वर्ष 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 के परीक्षित वार्षिक लेखा आवश्यक होंगे।

3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। जिसके तहत ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत, सर्वांगीण, समेकित, समावेशित और सहभागितापूर्ण योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्णित कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा योजना तैयार की जा रही है। इस क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक (वत्तीय वर्ष 2015—16 से 2019—20) और तत्काल दो वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजना का ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-II (मिशन अंत्योदय) नियोजन प्रक्रिया के तहत अभिसरण कर बनाई जा रही है। साथ ही अन्य विभागों, यथाः

समाज कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आदि, से संबंधित वार्ड एवं पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सूचनाएं संग्रहित करने की भी कार्रवाई की जा रही है।

4. पंचम राज्य वित्त आयोग

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को दो तरह की राशि उपलब्ध कराई जानी है :–

(क) राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि :– पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सुधार कार्यक्रमों को यथा– आंतरिक राजस्व (कर एवं कर से भिन्न) की वृद्धि**,** आंतरिक अंकेक्षण एवं ससमय लेखा प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को लागू करने, पूर्व की सेवाओं एवं संरचनाओं के ऑपरेशन एवं रख–रखाव, राज्य सरकार के सात निश्चय, विशेष कर पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, गली–नाली के क्रियान्वयन हेतु किया जाएगा।

प्रतिनिधायन (Devolution) मद में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि का 90 प्रतिशत सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अन्तर्गत 7 निश्चयों में पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नलिखित दो निश्चयों यथा–मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना पर व्यय किया जाएगा। शेष 10 (दस) प्रतिशत राशि का उपयोग आंतरिक अंकेक्षण तथा ससमय लेखा प्रस्तुतीकरण, पूर्व की सेवाओं एवं संरचनाओं के ऑपरेशन एवं रख–रखाव पर व्यय किया जाएगा।

प्रतिनिधायन मद में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति को प्राप्त होने वाली राशि का व्यय पाईप द्वारा पेयजल आपूर्त्ति, गली–नाली एवं स्वच्छता (सेनीटेशन) पर किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रतिनिधायन मद में प्रथम किस्त के रूप में ₹738.56 करोड़ (सात अरब अड़तीस करोड़ छप्पन लाख रूपये) मात्र की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्न प्रकार आवंटित की गई हैः–

क्र० सं०	निकाय	राशि (करोड़)
1	ग्राम पंचायत	₹517.00
2	पंचायत समिति	₹73.85
3	जिला परिषद्	₹147.71
कुल		**₹738.56**

(ख) अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि : पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ई–गवर्नेन्स, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने, जिला परिषद् कर्मियों के बकाया वेतन, ग्राम कचहरी के कार्यालय व्यय/फर्नीचर एवं राज्य वित्त आयोग कोषांग(वित्त विभाग एवं पंचायती राज विभाग) के सुदृढ़ीकरण हेतु किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान (Grant) मद में प्रथम किस्त के रूप में ₹342.55 करोड़ (तीन अरब बयालीस करोड़ पचपन लाख रूपये) मात्र की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्न प्रकार आवंटित की गई हैः–

क्र०सं०	निकाय /कोषांग		राशि
1	ग्राम पंचायत		₹169.40
2	पंचायत समिति		₹24.20
3	जिला परिषद्		₹101.40
4	ग्राम कचहरी		₹41.95
5	राज्य वित्त आयोग कोषांग	वित्त विभाग	₹0.25
		पंचायती राज विभाग	₹5.35
कुल			**₹342.55**

ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि विभाग के स्तर से के PFMS Portal के माध्यम से उनके बैंक खाते में अंतरित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल **₹2162.31 करोड़ (इक्कीस अरब बासठ करोड़ इक्कतीस लाख रूपये)** मात्र की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

5. बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी (विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण)

विश्व बैंक की ऋण सहायता (70 प्रतिशत) एवं राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) से 120 मिलियन यू०एस० डॉलर के सहयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा कारगर ढंग से आम लोगों की साझेदारी सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2012–2019 की बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना

अब राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) के 204 प्रखंडों के 3186 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

इस परियोजना में निम्नांकित अवयवों पर कार्य किये जा रहे हैं :–

<u>अवयव–1– पंचायत सरकार भवन</u>

(क) **<u>पंचायत सरकार भवन :–</u>** इस परियोजना अन्तर्गत राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में 330 पंचायत सरकार भवन का निर्माण बिहार सरकार द्वारा पूर्व के स्वीकृत डिजाईन के अनुसार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाना है।

(ख) **<u>नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनयुक्त पंचायतों को क्रियाशील करना</u>**

राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में 330 पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील बनाया जाना है। जिसमें पर्याप्त संख्या में मानव बल (पंचायत सचिव, लेखापाल, डाटा इंट्री ऑपरेटर, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत रोजगार सेवक) उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार टेबल, कुर्सी, पंखा, अलमीरा, फाइल कैबिनेट, कम्प्यूटर, प्रिटंर, यू0पी0एस0 तथा स्कैनर आदि उपलब्ध कराया जायेगा। क्रियाशील पंचायतों के सभी 6 स्थायी समितियों का गठन किया जाना है ताकि उनके द्वारा संवैधानिक दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।

<u>अवयव–2</u>

<u>पंचायतों का क्षमतावर्द्धन</u>

परियोजना के इस अवयव में अब संस्थागत क्षमतावर्द्धन के तहत् ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक क्षमता निर्माण, वित्तीय प्रबंधन आदि क्षेत्रों में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं उनके कर्मियों का क्षमतावर्द्धन किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं अन्य सुसंगत नियम एवं कानून की जानकारी हेतु लगातार प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि पंचायत स्तर पर बेहतर ढ़ग से योजनाओं का सूत्रण एवं प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर पर उन योजनाओं का समेकीकरण हो सके। पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन के

उद्देश्य से एक्सपोजर विजिट कराकर उनके व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि की जायेगी। जन जागरूकता के लिए जन संचार एवं लोक संचार माध्यमों से परियोजना के सभी 12 जिलों में जागरूकता संबंधित अभियान चलाया जायेगा। पूर्व प्रस्तावित विकासात्मक क्षमतावर्द्धन यथा– पेयजल, स्वच्छता, पोषण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के व्यापक क्रियान्वयन के स्थान पर पेयजल एवं स्वच्छता में केवल ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के मानक स्थापित करने का प्रावधान किया जायेगा।

अवयव–3

शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन

पूर्व प्रस्तावित प्रशिक्षण संबंधी सभी गतिविधियों को अवयव 2 के अंतर्गत समाहित करते हुए इस अवयव का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यरूप (Regulatory framework) का सुदृढ़ीकरण करना होगा। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :–

(i) बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विभिन्न पंचायत नियमावली तैयार कराई जायेंगी।

(ii) ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण एवं अंकेक्षण हेतु नियमावली एवं हस्तक तैयार कराया जायेगा।

(iii) ग्राम पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्यव्यापी व्यवस्था स्थापित की जायेगी। परियोजना जिले के सभी 3186 ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं वार्षिक वित्तीय अंकेक्षण कराया जायेगा।

(iv) ग्राम पंचायतों के लिये लेखा संधारण में ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना। सूचना प्राद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जायेगा। इस निमित्त "Gram Panchayat Management System" तैयार किया जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा कारगर ढंग से आम लोगों की साझेदारी सुनिश्चित कराने, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक की सहायता से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹214.29 करोड़ (दो अरब चौदह करोड़ उन्नतीस लाख रूपये) मात्र की राशि व्यय करने का कार्यक्रम है।

6. मुख्यमंत्री निश्चय योजना

सुशासन के कार्यक्रम 2015–20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ''सात निश्चय'' लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत् हैः–

(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी–टोटी योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जायेगी। ग्राम पंचायत के वाडों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिवल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जायेगा। बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल कर जलापूर्त्ति की जायेगी। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जायेगी। बोरिंग से सीधे पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा जाएगा। स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। मानक प्राक्कनल तैयार करने में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता की जायेगी।

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नली पक्कीकरण निश्चय योजनाः– इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों को सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली–नली का पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिग परिस्थियों, यथाः– मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। मानक प्राक्कलनों की तैयारी हेतु ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली जायेगी। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नली पक्कीकरण निश्चय योजना हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राप्त होनेवाली राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹162500.00 लाख (सोलह अरब पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

7. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (RGPSA)

(क) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन के दृष्टिकोण से **''राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान''** केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2013–14 से बिहार राज्य में लागू की गई है।

योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा के सुदृढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, आधारभूत ढाँचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण आदि का प्रावधान किया गया है।

पंचायती राज विभाग के स्तर से इस योजना की दीर्घकालीन परियोजना पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी है। इस योजना में वर्ष 2013–2017 में कुल ₹1629.30 करोड़ (सोलह अरब उनतीस करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र की राशि का व्यय प्रस्तावित है जिसमें केन्द्रांश ₹1221.98 करोड़ (बारह अरब एक्कीस करोड़ अट्ठानबे लाख रूपये) मात्र की राशि तथा राज्यांश ₹407.32 करोड़ (चार अरब सात करोड़ बत्तीस लाख रूपये) मात्र की राशि प्रस्तावित है।

वर्ष 2013–14 में कुल ₹861.00 लाख (आठ करोड़ एकसठ लाख रूपये) मात्र की राशि भारत सरकार से योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त हुई है जिसमें से अभी तक कुल व्यय राशि लगभग ₹3.00 करोड़ (तीन करोड़ रूपये) मात्र की राशि है।

वर्ष 2014–15 की कार्य योजना हेतु भारत सरकार द्वारा कुल ₹18573.35 लाख (एक अरब पच्चासी करोड़ तेहत्तर लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र की राशि अनुमोदित की गई है जिसके केन्द्रांश के प्रथम किश्त की 50% राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹67.775 करोड़ (सड़सठ करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि नवम्बर, 2014 में राज्य को प्राप्त हुई है।

योजनान्तर्गत मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् हैः–

(i) **Construction & Repair of GP building** :- 15 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से कुल 74 पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है।

(ii) **Capacity Building and Training**:- चार विभिन्न मॉड्यूल्स पर पाँच–पाँच दिवसीय ToT सभी मास्टर रिसोर्स परसन (MRP) एवं जिला स्तर पर जिला रिसोर्स परसन (DRP) को प्रदान की गयी है।

मास्टर रिसोर्स परसन प्रशिक्षकों हेतु कौशल विकास विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राज्य के बाहर Exposure Visit का आयोजन किया गया है जिसके अन्तर्गत अभी तक 51 स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिग्रीधारक मुखिया को दो समूह में महाराष्ट्र तथा राजस्थान की अच्छी पंचायतों का भ्रमण कराया जा चुका है। राज्य के अंदर भी Exposure Visit की कार्रवाई की जानी है।

पंचायतों में मानव संसाधन की तैनाती के समय सभी कर्मियों को ई–पंचायत तथा कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना बनाई गई है।

(iii) **Institutional structure** :- राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) की स्थापना हेतु पटना के छज्जूबाग स्थित हिन्दी भवन, जिसमें पहले चन्द्रगुप्त प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत था, को तत्काल पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को आवंटित किये जाने का निर्णय दिनांक 16.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया है तथा पंचायती राज विभाग इसे उच्चतम मानकों के अनुरूप संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित करेगा।

प्रत्येक जिले में ₹2 करोड़ की राशि से एक जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिसके प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 20 DPRC की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिला पदाधिकारियों को भूमि के चयन के संबंध में पत्र भेजा गया है।

वर्ष 2015–16 की कार्य योजना अंतर्गत कुल 120 प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) अनुमोदित हैं। प्रथम चरण में प्रत्येक अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंड तथा एक एक अतिरिक्त ऐसे जिले के प्रखंड जहाँ पूर्व से जिला पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अधिसूचित है, में स्थापित किये जाने हेतु जिलों को मार्गदर्शिका भेजी जा चुकी है।

(iv) **IEC Activity :-** चार विषयों, यथा ग्राम सभा का सक्रियण, लिंग भेद तथा सामाजिक पहचान संबंधी चुनौतियां, विकास योजनाएँ एवं पंचायती राज व्यवस्थायें एवं लेखा व्यवस्थायें एवं महत्त्वपूर्ण व्यवस्थागत प्रक्रियायें, पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा एक प्रशिक्षकों हेतु संदर्शिका तैयार कर

प्रकाशित की गई है, जिस पर आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा चुके हैं।

रेडियो मिर्ची के माध्यम से नब्बे दिनों का IEC Campaign राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के प्रचार–प्रसार हेतु किया गया है।

समाचार–पत्रों में भी राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के विषय में विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

प्रखंड एवं पंचायत स्तर हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री तथा DAVP एवं IPRD द्वारा अनुमोदित दरों पर IEC Campaign की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।

ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी तथा आमजन में ग्राम सभा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

(v) **Programme Management:-** राज्य स्तर पर e-Panchayat हेतु SPMU के गठन तथा जिला स्तर पर DPMU के गठन हेतु कुल ₹4.13 करोड़ (चार करोड़ तेरह लाख रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 हेतु RGPSA को केन्द्रीय सहायता सूची से Delist कर दिया गया था। किंतु माह, जुलाई, 2015 में पुनः कुछ प्रस्तावित मदों के अन्तर्गत इस योजना को संचालित रखने के निदेश पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त हुए हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव, 2016 के अप्रैल–मई में सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के उपरान्त नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों/कर्मियों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना तैयार की गई। इसी क्रम में सर्वप्रथम राज्य स्तर पर SLT (State Level Trainers) का पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण एवं जिला स्तर पर DLT (District Level Trainers) का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दिनांक 21.07.2016 को नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों एवं दिनांक 22.07.2016 को ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों का एकदिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा उक्त दोनों कार्यक्रम में एक–एक घंटे का वेब–कास्टिंग के माध्यम से उन्मुखीकरण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया।

विभागीय कार्यकारी निदेश के आलोक में सभी जिला पदाधिकारियों के द्वारा अपनी सुविधानुसार रोस्टर तैयार कर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों/कर्मियों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/कर्मियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 250000 (दो लाख पचास हजार) प्रतिनिधियों/कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कर क्षमतावर्द्धन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के क्रम में सभी प्रतिभागियों के बीच प्रशिक्षण पुस्तिका एवं लिफलेट भी वितरित किया गया। इस हेतु राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान **(RGPSA)** योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना मद अंतर्गत कुल ₹6059.15 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति दी गई है।

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान **(RGPSA)** योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु कुल ₹6491.00 लाख (चौसठ करोड़ इक्कयानवें लाख रूपये) मात्र की राशि का उपबंध कराया गया है।

8. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

वर्तमान में अगस्त, 2014 में विभाग द्वारा कराये गये एक अध्ययन के अनुसार त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त शक्तियों (कार्य, कर्मी एवं निधि) की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः–

विभिन्न विभागों द्वारा अभी तक कुल 621 प्रकार की जिम्मेदारियाँ अलग–अलग समय में त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गयी है जिनमें लाभार्थियों के चयन, वित्तीय शक्तियों, लाभार्थियों को देय लाभ का अनुमोदन/पुष्टि करना अथवा स्वीकृति देना, नियोजन/योजना तैयार करना, संस्थागत ढाँचों का निर्माण, कार्यक्रमों का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं निगरानी कार्य, परिसम्पतियों का रख–रखाव एवं सुरक्षा आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न विभागों को प्रतिनिधायनित कार्यों/दायित्वों/कर्मियों पर नियंत्रण आदि के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु कहा गया है ताकि कार्यान्वयन में किसी स्तर पर कठिनाई नहीं हो।

पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से उनके क्षमतावर्द्धन की भी व्यवस्था की गयी है। समय–समय पर पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायतों में कार्यरत कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र भ्रमण आदि का आयोजन किया जाता रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22.02.2013 को की गई घोषणाओं के आलोक में पंचायतों की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी वित्तीय शक्तियों को ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये मात्र) से बढ़ाकर ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये मात्र) कर दिया गया है। इससे संबंधित कार्यालय आदेश 9221 दिनांक 19.11.2014 निर्गत किया गया है।

आदेश में दी गई वित्तीय शक्तियाँ निम्नवत् हैंः–

(i) ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत को एवं तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति कनीय अभियंता को प्रत्यायोजित की गयी है।

(ii) ग्राम पंचायत की ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि से अधिक की योजनाओं तथा पंचायत समितियों की एवं जिला परिषद्ों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के विरूद्ध उल्लेखित राशि की सीमा के अधीन प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैंः–

क्र0	**पदाधिकारी का नाम**	**शक्ति का स्वरूप**	**सीमा राशि**
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रू0 तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रू0 तक
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	दस लाख रू0 तक
4	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रू0 तक
5	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रू0 तक
6	सहायक अभियंता	तकनीकी	दस लाख रू0 तक

(iii) पाँच लाख रूपये तक की योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हेतु जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अधीन नियोजित अभियंताओं की सेवा ली जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी (Bihar Rural Development Society)/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (District

Rural Development Authority) में कार्यरत अभियंता की सेवा प्राप्त की जा सकती है।

(iv) सभी चालू योजनाओं की मापी के लिए विभाग द्वारा नियोजित अभियंता अथवा सरकारी सेवा में कार्यरत/ बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी (Bihar Rural Development Society)/ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (District Rural Development Authority) अन्तर्गत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सक्षम होंगे।

(v) योजनाओं की अंतिम मापी एवं अंतिम विपत्र उसी स्तर के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा पारित किया जाएगा, जो संबंधित योजना में तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार के अन्यून हो।

पंचायतों को शक्तियों का प्रभावी प्रतिनिधायन किये जाने की दिशा में विभाग लगातार प्रयासरत है। दिनांक 28.07.2014 को मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ गहनता से बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा ठोस निर्णय लिये गये। निर्णय के आलोक में संबंधित विभाग पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों के प्रभावी प्रतिनिधायन हेतु ऑपरेशनल गाईडलाईन्स तैयार करेंगे। प्रथम चरण में कुल 12 विभागों यथा पंचायती राज, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाजिक सुरक्षा और निशक्तता निदेशालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लघु जल संसाधन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा पर्यावरण एवं वन विभाग को चिन्हित किया गया हैं।

9. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3466 दि० 11.06.2013 द्वारा दी गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत/ग्राम कचहरी की बैठकों में भाग लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दैनिक भत्ता, विशेष मानदेय एवं यात्रा भत्ता के दावों की प्रमाणिकता निर्धारित करने में जिला स्तर पर कठिनाई होती है एवं उनके लिए सही–सही यह आकलन करना मुश्किल होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को विहित भत्तों के भुगतान हेतु वस्तुतः कितनी राशि की आवश्यकता है। फलस्वरूप जिलों से प्रखण्डों को उक्त मद में राशि आवंटित करने में कठिनाई तो होती ही है, आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी काफी विलंब हो जाता है।

तद्नुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2517 दि० 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पचंराचयत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 26,000.00 लाख (दो अरब साठ करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 30000.00 लाख (तीन अरब रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

10. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में संशोधन

वर्ष 2016–17 में उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं –

(क) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 5, 2016)

11. नियमावलियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008

(viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010

(ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014

(xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014

(xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)

(xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015

(xvi) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)

(xvii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)

(xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)

(xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)

12. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन

(1) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के अंतर्गत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2013 एवं पत्रांक 939 दिनांक 21.02.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को 3161 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है। पुनः जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आनुसार विभागीय पत्रांक 8215 दिनांक 30.12.2016 द्वारा पंचायत सचिव की 1590 अतिरिक्त रिक्त पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयेग, पटना को भेजी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लिपिक–सह–रोकड़पाल का पद सृजन प्रस्तावित है।

13. पंचायत निर्वाचन

राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के सभी पदों के लिए पंचायत आम चुनाव वर्ष 2016 के अप्रैल–मई में सफलतापूर्वक सम्पन्न करा लिए गये हैं।

पंचायत आम चुनाव के संचालन में कुल ₹2,16,73,10,000.00 (दो अरब सोलह करोड़ तिहत्तर लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि का व्यय हुआ है। कतिपय कारणों से रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव इसी वर्ष फरवरी माह में सम्पन्न करा लिए गये हैं। उप चुनाव, 2017 के लिए सभी जिलों को कार्यालय व्यय इकाई में ₹34,37,640.00 (चौंतीस लाख सैंतिस हजार छह सौ चालीस रूपये) तथा यात्रा व्यय इकाई में ₹7,91,16,648.00 (सात करोड़ इक्यानवें लाख सोलह हजार छह सौ अड़तालीस रूपये) मात्र की राशि सभी जिलों को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराई गई है।

14. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) <u>**विभाग (मुख्यालय) स्तर पर**</u> :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – प्रशाखा पदाधिकारी

(ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – अनुश्रवण पदाधिकारी

(2) <u>**जिला परिषद् स्तर पर**</u> :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) **पंचायत समिति स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **ग्राम पंचायत स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

15. जन शिकायत से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)

क्र0	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदनों की स्थिति		
		प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	मुख्यमंत्री सचिवालय	508	508	0
2	जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम	66	66	0
3	राज्यपाल सचिवालय	53	53	0
4	विभागीय मंत्री	167	167	0
5	मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग	179	179	0
6	अन्य श्रोतों से	596	596	0
कुल योग :–		**1569**	**1569**	0

स्तंभ–4 में दर्शाये गये कुल 1569 परिवाद पत्रों में 305 परिवाद पत्र निष्पादित है तथा शेष 1264 परिवाद पत्रों को अपेक्षित कार्रवाई/निष्पादन हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को भेज दी गई है।

16. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 (दिसम्बर, 2016 तक)

क्र0	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु	100	100	0
2	प्रथम अपील	0	0	0
3	द्वितीय अपील	08	08	0
4	अंतरण	55	55	0
5	निगेटिव	37	37	0
कुल योग :–		**200**	**200**	0

17. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओ में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा।

सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। तत्काल ₹1213.37 करोड़ (बारह अरब तेरह करोड़ सैतीस लाख रूपये) मात्र की राशि से 1435 (एक हजार चार

सौ पैतीस) पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। वर्तमान में 1312 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है जिनमें से 780 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 134 पूर्णता की ओर है और कुल 1141 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना से इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु ₹30000.00 लाख (तीन अरब रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

18. <u>उपलब्धि</u>

(क) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा/हिंसात्मक घटना/दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को देय अनुग्रह अनुदान की राशि को ₹1.00 लाख (एक लाख रूपये) से बढ़ाकर ₹5.00 लाख (पाँच लाख रूपये) करने का प्रावधान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस हेतु ₹500.00 लाख (पाँच करोड़ रूपये) मात्र का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस हेतु तत्काल ₹200.99 लाख (दो करोड़ निन्यावें हजार रूपये) मात्र का प्रावधान किया गया है।

(ख) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 के नियम–8(1) के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव को नियत मानदेय की राशि ₹2000.00 (दो हजार रूपये) से बढ़ाकर ₹6000.00 (छह हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह नियत की गयी है। मानदेय की यह राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रभावी है।

(ग) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के आधार पर नियोजित किया गया है। उन्हें देय नियत फीस को ₹2500.00 (दो हजार पाँच सौ रूपये) से बढ़ाकर ₹7000.00 (सात हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह नियत की गयी है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य की ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु ₹700.00 लाख (सात करोड़ रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु क्रमशः ₹6000.00 लाख (साठ करोड़ रूपये) एवं ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

(ड.) बिहार पंचायत निर्वाचन संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच की दशा में ₹20000.00 (बीस हजार रूपये), पंचायत समिति के सदस्य की दशा में ₹30000.00 (तीस हजार रूपये), पंचायत के मुखिया एवं सरपंच की दशा में ₹40000.00 (चालीस हजार रूपये), जिला परिषद् के सदस्य की दशा में ₹100000.00 (एक लाख रूपये) से अधिक व्यय, ग्राम पंचायत से सदस्य/पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा सरपंच और जिला परिषद् के सदस्य के किसी उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा संबंधित निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन पर उपगत नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है।

(च) सीवान जिला अन्तर्गत पूर्व से गठित तीन प्रखण्डों, यथाः नौतन, हसनपुरा और जीरादेई, के लिए तीन पंचायत समितियों बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–34 के अधीन क्रमशः नौतन पंचायत समिति, हसनपुरा पंचायत समिति एवं जीरादेई पंचायत समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार पंचायत समितियों की कुल संख्या 531 से बढ़कर 534 हो गयी है।

(छ) वित्तीय वर्ष 2017–18 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तत्काल ₹10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	534
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8391
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8391
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	114733
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8391
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11497
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1161
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	114733
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8391
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या	3701
12	ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या	4718
13	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	6947
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	7474
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	528

परिशिष्ट—2

राज्य स्कीम

क्र०	राज्य स्कीम का नाम	2016—17 में कर्णांकित राशि (लाख रूपये में)	2017—18 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम	0.01	0.00
2	निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	₹26000.00	₹30000.00
3	वाह्य सम्पोषित परियोजना(विश्व बैंक सहायता)	₹21000.00	₹21429.00
4	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	₹0.01	₹0.00
5	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	₹40000.00	₹30000.00
6	विभाग का आधुनिकीकरण	₹300.00	₹300.00
7	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	₹6090.98	₹6491.00
8	ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु	₹100.00	₹6000.00
9	ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु	₹700.00	₹1000.00
10	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को पुरस्कार	₹1.00	₹0.01
11	कम्पयूटर आपरेटर का मानदेय	₹1000.00	₹1000.00
12	अनुग्रह अनुदान	₹500.00	₹200.99.00
13	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	₹68000.00	₹162500.00
कुल :—		**₹163992.00**	**₹258921.00**
		(सोलह अरब उनतालीस करोड़ बयानवे लाख रुपये) मात्र	**(पच्चीस अरब नबासी करोड़ इक्कीस लाख रुपये) मात्र**

परिशिष्ट–3

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2016–17 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)	2017–18 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	₹ 34781.55	₹ 28506.00
2.	चौदहवाँ वित्त आयोग	₹ 355423.00	₹ 409680.00
3	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	₹ 196000.00	₹ 216231.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन			
4.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	₹ 240.00	₹ 268.10
5.	पंचायत निर्वाचन	₹ 8129.13	₹ 1000.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
6.	स्थापना	₹ 124.87	₹ 137.19
	कुल :–	**₹ 594699.90**	**₹ 655822.29**
		उनसठ अरब छियालीस करोड़ निन्यानबे लाख नब्बे हजार रूपये मात्र	**पैसठ अरब अट्ठावन करोड़ बाईस लाख उनतीस हजार रूपये मात्र**

वर्ष 2017–18 का कुल योग (राज्य स्कीम + स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)
₹258921.00 + ₹655822.29 = ₹914743.29 लाख
(इक्कयानवें अरब सैंतालीस करोड़ तैतालीस लाख उनतीस हजार रूपये मात्र)

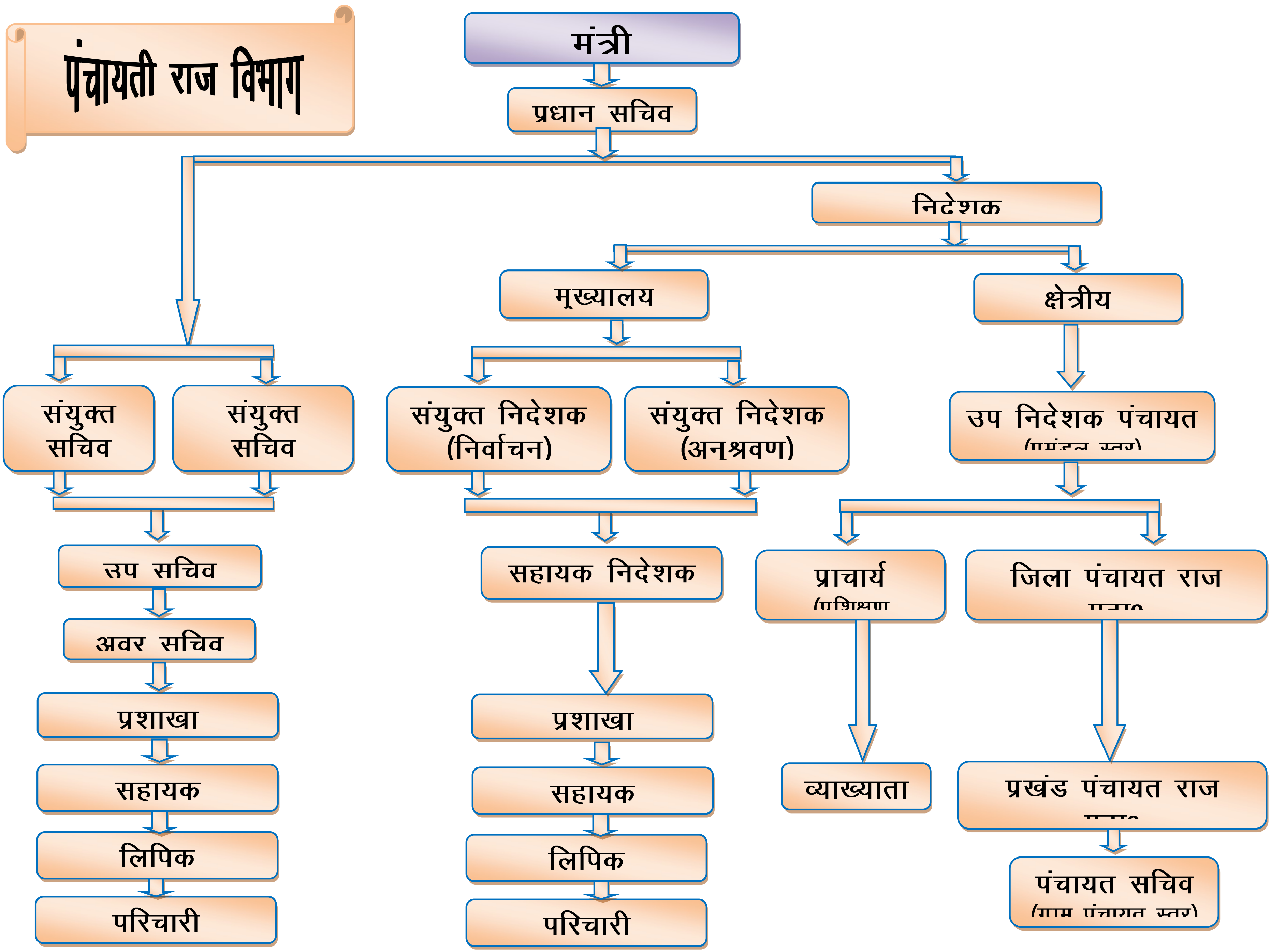
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य
जिला पंचायत राज
व्याख्याता
प्रखंड पंचायत राज
पंचायत सचिव

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>पद का नाम</th><th>स्वीकृत/ सृजित पद</th><th>कार्यरत बल</th><th>रिक्ति</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रधान सचिव/सचिव</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>निदेशक</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव (विधि)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>उप सचिव</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>अनुश्रवण पदाधिकारी</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>सहायक निदेशक</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>अवर सचिव</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>उप राज्य आयोजक</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>योजना पदाधिकारी</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>विशेष कार्य पदाधिकारी</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>प्रशाखा पदाधिकारी</td><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>सहायक</td><td>34</td><td>11</td><td>23</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500–10500)(संविदा पर)</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>प्रधान आप्त सचिव</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>आप्त सचिव</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>निजी सहायक</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>आशुलिपिक</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td>सचिव के सचिव</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>24</td><td>उच्चवर्गीय लिपिक</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">25</td><td rowspan="2">निम्नवर्गीय लिपिक</td><td rowspan="2">12</td><td>2</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>क्षेत्रीय कार्यालय से दो प्रतिनियुक्त।</td></tr>
<tr><td>26</td><td>लेखापाल</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>प्रभारी</td></tr>
<tr><td>27</td><td>रोकड़पाल</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>प्रतिनियुक्ति पर एक कार्यरत</td></tr>
<tr><td>28</td><td>प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>प्रधान अनुदेशक</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td>कलाकार–सह–संगणक</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td>वाद्य अनुदेशक</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td>डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)</td><td>5</td><td>23</td><td></td><td>आउटसोर्स, बेल्ट्रॉन से संविदा पर</td></tr>
<tr><td rowspan="2">33</td><td rowspan="2">चालक</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">0</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>आउट सोर्स, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संविदा पर</td></tr>
</table>

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
34	अभिलेखवाह	1	0	1	
35	ट्रेजरी सरकार	1	0	1	
36	कार्यालय परिचारी	18	8+2 (महिला)	6	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0, पटना के 2 कर्मी प्रतिनियुक्त)
37	आई०टी० ब्याय/गर्ल (संविदा पर	-	10		आउट सोर्स, बेल्ट्रॉन से संविदा पर
38	जन शिकायत पदाधिकारी (सेवानिवृत्त अपर समाहर्त्ता संविदा पर)	1	0	1	
39	प्रशाखा पदाधिकारी (जन शिकायत कोषांग) (सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी संविदा पर)	1	0	1	
40	कार्यपालक सहायक (जन शिकायत कोषांग संविदा पर)	1	1	0	

नोट :– क्रमांक 32 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 5 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 23 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग